कृषि निदेशालय, बिहार

पत्र संख्या–6 / स्था0 कोर्ट–26 / 2018 1017 / कृ0, पटना, दिनांक–11-12. 2018

प्रेषक,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

कोर्ट केस
ई–मेल
निबंधित

सचिव,
विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार,
बहादूर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002

विषय :– **चन्द्रशेखर आजाद, कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के B.sc. AG & AH Course के संबंध में मंतव्य संबंधी।**

प्रसंग :– **सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–659 / 2018 नीरज कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 10.05.2018**

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में कृषि विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–375 दिनांक 11.03.2014 द्वारा निर्गत कृषि समन्वयक संवर्ग का (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2014 की छायाप्रति संलग्न कर कहना है कि इस संवर्ग के नियमावली की कंडिका–08 द्वारा कृषि समन्वयक पद हेतु शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान / पशु चिकित्सा / मत्स्यिकी / कृषि अभियंत्रण / उद्यान / वानिकी / गव्य तकनीकी में स्नातक निर्धारित है। विभाग की अधियाचना पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा कृषि समन्वयक पद हेतु चयनीत / अनुशंसित की नियुक्ति की गई है।

कृषि समन्वयक के उपरोक्त नियुक्ति में चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर से B.sc. AG & AH Course के आलोक में श्री नीरज कुमार एवं अन्य द्वारा उपरोक्त नियुक्ति में दावा करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–659 / 2018 दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश दिनांक 10.09.2018 के आलोक में इस विषय में विभाग स्तर पर निर्णय प्रक्रियाधीन है।

इस बीच चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा उक्त Course B.sc. AG & AH को B.sc. Ag (Honrse) में परिवर्त्तित किये जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है।

अनुरोध है कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा संचालित उक्त Course B.sc. AG & AH परिवर्तित B.sc. Ag (Honrse) को कृषि समन्वयकों की नियुक्ति हेतु उपरोक्त प्रावधानित शैक्षणिक अर्हत्ता के समतुल्य मान्यता देने के संबंध में मंतव्य देने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कृषि विभाग

अधिसूचना

/कृ०, पटना, दिनांक 11.3.14

संख्या–6/स्था० –72/2013 375 /भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल कृषि समन्वयक संवर्ग का गठन और उसमें भर्त्ती की पद्धति तथा सेवा शर्त्तो को विनियमित करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** –

   (1) यह नियमावली ''कृषि समन्वयक संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा–शर्त्त) नियमावली–2014'' कही जायेगी।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ** – इस नियमावली में, जब तक संदर्भ या विषय में अन्यथा अपेक्षित न हो,

   (i) ''अनुशासनिक प्राधिकार से '' अभिप्रेत है जिला कृषि पदाधिकारी;

   (ii) ''अपीलीय प्राधिकार'' से अभिप्रेत है निदेशक कृषि, बिहार;

   (iii) "आयोग" से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

   (iv) "कृषि समन्वयक" से अभिप्रेत है, कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रखंड से न्यून स्तर पर तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग करने वाले कर्मी जो इस नियमावली के अधीन भर्त्ती किये जायेगे;

   (v) ''जिला कृषि पदाधिकारी" से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा इस रूप में जिला स्तर पर नियुक्त पदाधिकारी;

   (vi) "निदेशक" से अभिप्रेत है, कृषि निदेशक, बिहार;

   (vii) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है जिला कृषि पदाधिकारी;

   (viii) ''विभाग'' से अभिप्रेत है, कृषि विभाग;

   (ix) "सरकार" से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;

   (x) "संवर्ग" से अभिप्रेत है, कृषि समन्वयक संवर्ग;

3. **संवर्ग का गठन एवं पदों का वर्गीकरण** –

(क) कृषि समन्वयक का पद समूह 'ग' (अराजपत्रित) के अधीन वर्गीकृत किया जायेगा।।

(ख) संवर्ग में स्वीकृत पदों की संख्या इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार होगी।

परन्तु सरकार अनुसूची को आवश्यकतानुसार संशोधित कर सकेगी और इसमें दिये गये पदों की संख्या घटा–बढ़ा सकेगी या स्थगित अवस्था में रख सकेगी तथा ग्रेड में परिवर्त्तन कर सकेगी।

(ग) नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कृषि समन्वयक के पद पर नियुक्ति की जायेगी। प्रशासनिक नियंत्री पदाधिकारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी होगें तथा निदेशक पूर्ण नियंत्री प्राधिकार/अपीलीय प्राधिकार कृषि निदेशक होगें।

4. रिक्तियों की अवधारणा – निदेशक प्रत्येक वर्ष 1ली .अप्रील की स्थिति के आधार पर संवर्ग में नियुक्ति हेतु जिलावार रिक्तियाँ निर्धारित कर इसकी सूचना आयोग को प्रतिवर्ष 30 अप्रील तक उपलब्ध करायेंगे।

5. आरक्षण – सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए, समय–समय पर अवधारित आरक्षण प्रावधान इस संवर्ग में भी लागू होंगे।

6. उम्र सीमा – सीधी भर्त्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के 01ली अगस्त को 21 वर्ष से कम नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जो सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर, अवधारित की जाय। उम्र सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से दी जाय।

7. वेतनमान – "कृषि समन्वयक" के पद का वेतनमान ₹5200–20,200/– ग्रेड पे ₹2800/– होगा, जो राज्य सरकार के द्वारा, समय समय पर, पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

8. योग्यता – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान/पशु चिकित्सा/मातिस्यकी/कृषि अभियंत्रण/उद्यान/वानिकी/गव्य तकनीकी में स्नातक।

9. भर्त्ती/चयन की प्रक्रिया –

(क) कृषि समन्वयक के स्वीकृत पदों पर भर्त्ती कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर की जायेगी।

(ख) मेधा सूची का अवधारण स्नातक स्तर पर प्राप्त प्रतिशत अंक तथा कृषि विभाग, बिहार सरकार में कार्य अनुभव के आधार पर किया जायेगा। 166

- स्नातक स्तर पर प्रतिशत प्राप्तांक के अनुसार अधिकतम अंक–70

  नोटः– अभ्यर्थी के प्रतिशत प्राप्तांक को 0.7 से गुणा कर अंक अवधारण किया जायेगा। उदाहरण के लिए 80 प्रतिशत प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी को 80 x 0.7=56 अंक मिलेगा।

- कार्य अनुभव के अनुसार अधिकतम अंक

  नोटः– एक वर्ष से दो वर्ष के बीच का कार्य अनुभव – 10 अंक
  दो वर्ष से तीन वर्ष के बीच का कार्य अनुभव – 20 अंक
  तीन वर्ष या इससे अधिक के कार्य अनुभव – 30 अंक

(ग) आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन के माध्यम से अभ्यर्थियों से जिला के संबंध में विकल्प की माँग की जायेगी और मेधा–सह–विकल्प के आधार पर, जिलावार अनुशंसित सूची निदेशक को आयोग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। निदेशक द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को अनुशंसित सूची भेज दी जायगी।

10. <u>परिवीक्षा</u> – मौलिक रिक्त पद के विरूद्ध नियुक्त होनेवाला प्रत्येक कर्मी पदग्रहण की तिथि से 2(दो) वर्षो की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

11. <u>प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा</u> – कृषि समन्वयक के प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा अयोजित करने की व्यवस्था निदेशक करेंगे तथा इस प्रयोजनार्थ, समय–समय पर, पाठ्यक्रम निर्धारित करेंगे।

12. <u>सेवा सम्पुष्टि</u> – विहित प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता सहित परिवीक्षा अवधि में संतोषप्रद सेवा होने पर, जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा कृषि समन्वयक की सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।

13. <u>अनुशासनिक कार्रवाई</u> –

(1) इस संवर्ग के कर्मी बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005, समय–समय पर यथासंशोधित, के अधीन शासित होंगे।

(2) अनुशासनिक प्राधिकार जिला कृषि पदाधिकारी होंगे।

(3) अपीलीय प्राधिकार निदेशक, कृषि विभाग होंगे।

(1) इस नियमावली के प्रावधानों के निर्वचन के संबंध में कोई शंका अथवा विवाद होने पर निदेशक का विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा प्रावधान जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो कर सकेगी, जो कठिनाईयों के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन हो।

15. **विधान मंडल के समक्ष नियमावली का रखा जाना** – यह नियमावली बनाये जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष, जब यह सत्र में कुल चौदह दिनों के लिए हो रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र अथवा दो सत्र या दो से अधिक अनुवर्ती सत्रों में हो सकेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–6/स्था० –72/2013 375 / कृ0, पटना, दिनांक– 11·3·14

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस अधिसूचना का 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–6/स्था० –72/2013 375 / कृ0, पटना, दिनांक– 11·3·14

प्रतिलिपि :– राजपाल के सचिव/मुख्यमंत्री के सचिव/मुख्य सचिव/सभी विभागीय सचिव/सभी विभागध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–6/स्था० –72/2013 375 / कृ0, पटना, दिनांक– 11·3·14·

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिद के आप्त सचिव, कृषि विभाग/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों/सभी संयुक्त कृषि निदेशक एवं सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

164

ज्ञापांक–6 / स्था० –72 / 2013 395 / कृ0, पटना, दिनांक– 11.3.14

प्रतिलिपि :– उप कृषि निदेशक (सूचना) बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।